भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4297

27.03.2023 को उत्तर के लिए

हरित भारत मिशन हेतु निधि

4297. श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री पिनाकी मिश्रा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शुरु किए गए हरित भारत मिशन का ब्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले वनीकरण लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या प्रत्येक राज्य द्वारा इस निधि का उपयोग किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या राज्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निर्दिष्ट आठ मिशनों में से एक है जिसका उद्देश्य भारत के वनावरण को सुरक्षित करना, पुन:बहाल करना और बढ़ाना है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटना है। मिशन के तहत 10 मि. हेक्टेयर वन और गैर वन भूमि पर वन/वृक्षावरण को बढ़ाने और मौजूदा वनों की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान जीआईएम के तहत आबंटित और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ड.) और (च) विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग, भारत सरकार ने स्कीम के अंतर्गत प्रांसगिकता, प्रभावकारिता, दक्षता, संधारणीयता, प्रभाव और साम्या जैसे पहलुओं के संबंध में 2020-21 में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का मूल्यांकन करवाया और स्कीम को आगे जारी रखने की सिफारिश की। जीआईएम के कार्यान्वयन में भागीदारी करने के लिए समय-समय पर बैठकों और लिखित पत्रों के द्वारा सभी राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

****

अनुबंध-I

तालिका: I पिछले पांच वर्षों के दौरान (वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक) जीआईएम के तहत आबंटित/जारी की गई और प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा :

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**आवंटित/ जारी की गई निधियां**	**उपयोग की गई निधिया**
1	आंध्र प्रदेश	5.14	3.11
2	अरूणाचल प्रदेश	13.43	-
3	छत्तीसगढ़	29.13	23.01
4	हरियाणा	9.55	-
5	हिमाचल प्रदेश	17.09	0.00
6	जम्मू एवं कश्मीर	25.73	13.68
7	कर्नाटक	11.49	11.46
8	केरल	16.32	17.26
9	मध्य प्रदेश	73.10	73.09
10	महाराष्ट्र	10.30	7.65
11	मणिपुर	32.13	32.13
12	मिजोरम	92.93	92.93
13	ओडिशा	64.09	50.19
14	पंजाब	12.72	12.77
15	सिक्किम	16.41	16.41
16	उत्तराखंड	61.88	72.45
17	पश्चिम बंगाल	9.43	9.43
कुल		**500.85**	**435.58**